(छ) खेल और खेलकूद

भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले सामान्य खेलों के पर्याप्त खेल उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षिक और अन्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर अपेक्षित संख्या में।

(ख) पुरूष और महिला अध्यापक शिक्षकों/विद्यार्थी –अध्यापकों के लिए अलग–अलग सांझे सामान्य कमरे।

(ग) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(घ) संस्था में सुरक्षित पेय जल मुहैया किया जाए।

(ड) संस्था का परिसर, इमारत, सुविधा, आदि अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल होने चाहिएं।

(च) खेल के मैदान के साथ खेलों की सुविधाएं होनी चाहिएं। वैकल्पि रूप से, संलग्न स्कूल अथवा स्थानीय निकाय के उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग निर्धारित अवधियों के लिए अनन्य रूप से किया जा सकता है। जहां स्थान की कमी हो, जैसे कि महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहां छोटे मैदानों में खेले जाने वाले खेलों, योग और अन्तरंग खेलों के लिए सुविधाएं मुहैया की जा सकती है।

(टिप्पणीः यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों में अनुपात के अनुसार वृद्धि करके) और शैक्षिक स्थान का उपयोग बांट कर किया जा सकता है)

7. प्रबंधन समिति

संस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयमेव प्रबन्ध समिति गठित करेगी। समिति में प्रबन्ध समिति/न्यास/कम्पनी, शिक्षा विशारदों, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञों और स्टाफ के प्रतिनिध शामिल होंगे।

परिशिष्ट–3

प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) की डिग्री प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक का कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा का चार वर्ष का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम है, जो उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकडरी) शिक्षा के बाद प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापक तैयार करना है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक प्रकार के व्यावसायिक और शैक्षिक (अकादमिक) विकल्पो के लिए तैयार करता है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए विशेष अभिविन्यास के साथ प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाना; विभिन्न हैसियतों में प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली का नेतृत्त्व करना; सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रक में प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापन और अनुसन्धान करना; शिक्षा और अन्य विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान करना; और विभिन्न राज्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभागों/कॉलेजों में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अध्यापक शिक्षकों के रूप में कार्य करना शामिल है।

1.2 बी.एल.एड कार्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के उस संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो उदार कला विषयों, मानविकी, समाजविज्ञान, वाणिज्य, गणित और विज्ञानों में स्नातकपूर्व शिक्षा प्रस्तुत करता हो, अथवा विश्वविद्यालय के किसी ऐसे संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो बहुविध अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता हो, अथवा बहु–विषयक संकाय वाले विश्वविद्यालय में, जिनकी परिभाषा विनियम 2.1 में दी गई है, प्रस्तुत किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य–दिवस

2.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) का कार्यक्रम कम से कम चार शैक्षिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसमें कम से 20 कार्य–सप्ताहों की स्कूल प्रशिक्षुता शामिल है, जिनमें से चार कार्य–सप्ताह अध्ययन के तीसरे वर्ष में होंगे और 16 कार्य–सप्ताह अध्ययन के चौथे/अन्तिम वर्ष में होंगे।

2.2 इस कार्यक्रम में दाखिल लिए गए उम्मीदवार अन्तिम वर्ष की परीक्षा प्रवेश लेने के वर्ष से छः वर्ष तक के भीतर दे देंगे।

2.3 प्रत्येक वर्ष कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिनमें प्रवेश और परीक्षा की अवधि शामिल नहीं होगी, किन्तु कक्षा में कार्य करने, अभ्यास करने, स्कूलों के साथ व्यस्तता और स्कूल प्रशिक्षुता की अवधि शामिल होगी। संस्थान सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगा, जिसके दौरान संकाय के सदस्य अर्थात शिक्षकगण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए जिनमें विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक कार्य करना और उन्हें परामर्श देना शामिल है, उपलब्ध रहेंगे।

2.4 विद्यार्थी–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति पाठ्यक्रम के सारे कार्य के लिए, जिसमें प्रायोगिक कार्य भी शामिल है, 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. भर्ती, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क (फीस)

3.1 भर्ती

बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों की होगी।

3.2 पात्रता

(i) बीएलएड कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि उन्होंने माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुए हों।

(ii) अनु. जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण और अंकों में ढील केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार जो लागू हों, के उन नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश की प्रक्रिया

प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा (अर्थात 10+2 वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा) और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा संबद्धक विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार चयन की किसी अन्य प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल वह फीस वसूल करेगी, जो संबंधित संबद्धक निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य टयूशन फीस ओर अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्ग–निर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित किया गया होगा ओर विद्यार्थियों से दान, प्रतिव्यक्ति फीस (केपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम –कार्यान्वयन और मूल्यांकन

बीईएलएड का कार्यक्रम विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान के अध्ययन और सम्प्रेषण के कौशलों को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में अनिवार्य वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम; अनिवार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम और व्यापक स्कूल प्रशिक्षुता शामिल होंगे। प्रत्येक संस्था अध्यापन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में क्षेत्र के दौरों के लिए और प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा के नवाचारी क्रियाकलापों के केन्द्रों में जाने के लिए प्रबन्ध करेगी, शिक्षा देने वाले संस्थान पाठ्यक्रमों की उस स्कीम का पालन करेंगें, जो नीचे दी गई है।

बीईएलएड पाठ्यचर्या का प्रयास पाठ्यक्रम के जरिए जो विषय की अन्तर्वस्तु को शिक्षाशास्त्र के साथ अर्न्तग्रहित है और प्रयोग का एकीकरण सिद्धान्त के साथ करता है, स्कूल शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करने का है। आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा, और अशक्तता/समावेशी शिक्षा बीईएलएड पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनेगी।

सिद्धांतिक पाठ्यकम के पाठ्यक्रमों में शिक्षा में परिप्रेक्ष्य अथवा आधार पाठ्यक्रम, विषय–आधरित कार्यक्रम और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे। सिद्धांत के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के संगत क्षेत्र–आधारित यूनिट शामिल होंगे, जिनमें सौंपे गए कार्य और परियोजनाएं भी शामिल हैं। सिद्धांत और प्रायोगित्मक कार्य के पाठ्यक्रमों को 60 :40 के अनुपाल में भारांश दिया जाएगा। सिद्धांत के पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित किस्मों के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

(क) "परिप्रेक्ष्य अथवा आधार" पाठ्यक्रम बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रियाओं, शिक्षा की संकल्पनाओं और उसके परिप्रेक्ष्यों, उस सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भ जिसमें शिक्षा स्थित है, स्कूल संगठन और प्रबन्धन की प्रक्रियाओं और पद्धतियों, समाज और शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दों, संबंध जोड़ने और संप्रेषण की व्यावसायिक क्षमताओं के भंडार के बारे में गठन अध्ययन मुहैया करने के लिए तैयार किए जाएंगे। भाषा, गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र के पाठ्यक्रम बच्चों को स्कूल में सीखी गई संकल्पनाओं का पुननिर्माण करने और उन्हें एक अन्तर्विषयक और शिक्षाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर एकीकृत करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएगे।

(ख) "पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय अध्ययनों" के पाठ्यक्रम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पढाने के विशिष्ट कौशलों और अध्यापन के अति मुख्य परिप्रेक्ष्य का विकास करने के लिए तैयार किए जाने हैं। इसमें ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित शिक्षाशास्त्र में परिप्रेक्ष्यों का विकास करना शामिल है। तीन अनिवार्य पाठ्यक्रम प्राथमिक अवस्था (1 से 5) में भाषा, गणित और पर्यावरणिक अध्ययनों में शिक्षणशास्त्रीय पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। उच्च प्राथमिक अवस्था (6 से 8) में भाषा, गणित, समाज विज्ञान और प्रकृति विज्ञान में ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। शिक्षा के विषय में नवोदित हो रहे क्षेत्रों में भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएगे।

(ग) "विषय–आधारित पाठ्यक्रम" विद्यार्थी–अध्यापक के ज्ञान के आधार को समृद्ध बनाने के लिए और संबंधित विषयों में और आगे अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए तैयार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को संबंधित विषययों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित संख्या में विषय–आधारित पाठ्यक्रम मुहैया किए जाने की आवश्यकता है। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विशिष्ट विषयों के क्षेत्रों की संकल्पनाओं से जुड़ने में समर्थ बनाएंगे और उस विषय में अन्य स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों के साथ शैक्षिक संयोजनों का निर्माण करेंगे।

4.2 प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य के पाठ्यक्रम प्रारम्भिक स्कूलों के अन्दर औार बाहर बच्चों के साथ कार्य का विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त करने के लिए और आत्म–मंथन और विश्लेषण करने के कौशलों का विकास करने, वैज्ञानिक पूछताछ करने और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा में शिल्प, सृजनात्मक नाटक, संगीत, और थिएटर के बारे में व्यावसायिक क्षमताओं और कौशलों का भंडार बनाने, बच्चों के साहित्य और कहानियाँ सुनाने, पाठ्यचर्या की सामग्री का विकास और विश्लेषण करने कक्षा कमरे के प्रबन्धन, सुनियोजित प्रेक्षण, प्रलेखन और मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएंगे। जब कार्यक्रम अन्तिम वर्ष तक पहुंचेगा, तो सिद्धान्त, प्रेक्षणों और कक्षा के कमरे में अध्यापन के बीच संबंध का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक कार्य के संघटकों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी।

आत्म–विकास कार्यशालाएं : विद्यार्थियों को आत्म–चिन्तन और विश्लेषण करने के अवसर प्रदान करने के लिए क्रिया कलाप और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी अपनी आलोचना स्वयं करना, प्रश्न पूछना और आत्म–चिन्तन करना सीखते हैं और अपने आपको दूसरों से जोड़ने, विचार संप्रेषित करने की अपनी योग्यताओं को तीक्ष्ण बनाने हैं, और बच्चों के प्रति और अध्यापन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियां विकसित करते हैं और संवैधानिक और मानव मूल्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं।

4.3 स्कूल के साथ परियुक्ति

स्कूल के साथ मेलजोल का कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के साथ परियुक्ति के फोकस, प्रयोजन और स्वरूप को बदलने के लिए तैयार किया जाएगा। संघटकों में स्कूलों के साथ संपर्क स्थापित करना, बच्चों का प्रेक्षण अथवा निरीक्षण करना, सामग्रियों का विकास करना, शिक्षा में नवाचार के केन्द्रों का दौरा करना, समुदायों और स्कूल प्रबन्धन समितियों के साथ काम करना, और स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना शामिल होना चाहिए।

4.4 स्कूल प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप)

कार्यक्रम के दौरान स्कलों के साथ विद्यार्थी–अध्यापकों की संलग्नता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और इसके चरमोत्कर्ष के रूप कार्यक्रम के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर स्कूल प्रशिक्षुता का रूप ले लेती है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के संघटकों में अध्यापन की योजना बनाना, अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति, कक्षाओं का प्रेक्षण, सीखने कलए सतत् और व्यापक मूल्यांकन के कार्य में व्यस्त रहना, विचारशील जर्नल लिखना, संसाधनों का विकास करना और क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करना और कक्षा–आधारित अनुसन्धान परियोजनाएं हाथ में लेना शामिल होगा।

विद्यार्थी कार्यक्रम के अन्तिम वर्ष में कम से कम 16 सप्ताहों के लिए अध्यापन के कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त रहेंगे, जिसमें प्रारम्भिक एक सप्ताह के दौरान किसी नियमित अध्यापक के साथ किसी नियमित कक्षा का प्रेक्षण करना शामिल है। वे दो स्तरों पर, अर्थात प्राथमिक (कक्षा 1–5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) स्तरों पर अध्यापन में संलग्न रहेंगे। उन्हें सुनियोजित पर्यवेक्षी सहायता, संकाय से फीडबैक और सतत् संलग्नता के साथ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

4.5 संस्थानों को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा :

1. स्कूल प्रशिक्षुता सहित सभी क्रिययकलापों का एक कैलेंडर तैयार करना। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और स्कूल से संबंधित अन्य प्रायोगिकात्मक कार्यों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।
2. स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए और स्कूल संलग्नता के लिए अपेक्षित अन्य प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के लिए प्रबन्ध करने के लिए स्कूलों की रजामन्दी की जानकारी देते हुए कम से कम दस स्कूलों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जाए। इस प्रबन्ध के लिए संबंधित शिक्षा प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जान होगा।
3. शिक्षा और पाठ्यचर्या में परिप्रेक्ष्य और शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन पाठ्यक्रमों का कार्य–निष्पादन बहुविध और विभिन्न कार्य पद्धतियों का इस्तेमाल करने हुए किया जान चाहिए, जैसे मामला अध्ययन, समस्याएं हल करना, विद्वत गोष्ठी में विचारशील जर्नलों पर चर्चा, बहुविध सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण में बच्चों का प्रेक्षण, प्रशिक्षु विचारशील जर्नल और प्रेक्षण रिकार्ड रखेगा, जो विचारशील चिन्तन के लिए अवसर मुहैया कराते हैं।
4. विद्यार्थी–अध्यापकों को परामर्श देने, उनका पर्यवेक्षण करने, उन पर नजर रखने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) और भाग लेने वाले स्कूलों के बीच एक परस्पर–सम्मत कार्यविधि स्थापित करें।
5. कालेज/संस्था में शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के बीच अन्तर्विषय शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दें।
6. विद्यार्थियों और संकाय के लिए गोष्ठियों, वाद विवादों, भाषणों और चर्चा समूहों को आयोजित करने के द्वारा शिक्षा पर भाषणों की शुरूआत करें।
7. स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी–अध्यापकों को फीडबैक देने, और विस्तार/अतिथि भाषणों और विद्वत्गोष्ठियां आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन विभागों के संकाय सदस्यों को, जहां विद्यार्थी उदार पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं ओर सहयोगी विभागों को, जो अध्यापन के कार्य में शामिल

हैं, शिक्षा विभाग की विस्तारित संकाय समझा जाएगा। कम से कम एक संकाय को, जो विद्यार्थियों को शिक्षा के उदार संघटक पढ़ाने के कार्य में शामिल है, शिक्षा विभाग की अकादमिक समीक्षा और योजना–निर्माण बैठकों में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा। उन्हें फील्ड पर्यवेक्षण में भाग लेने लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि प्रयोगात्मक क्रियाकलाप व आपसी समर्थन से कार्यान्वित किए जाए

8. संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षिक समृद्धि कार्यक्रम आयोजित किए जाए। संकाय को शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के लिए और विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा में अनुसन्धान के लिए प्रोत्सहित किया जाएगा।

9. संस्था में विद्यार्थियों और शिक्षकों की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों का समाधान करने की कार्यविधि और व्यवस्था होगी।

4.6 मूल्यांकन

(1) प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन के लिए 20% से 30%तक का भारांश और बाह्य मूल्यांकन के लिए 70%से 80 प्रतिशत तक का भारांश हो सकता है। कुल अकों/भारांश का एक चौथाई भाग स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारांश संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा अनुपात की उपर्युक्त श्रृखला के भीतर नियत किया जाएगा।

(2) बी.एल.एड. कार्यक्रम में कुल अंकों का अनुपाल निम्नलिखित के अनुसार होगा : सिद्धान्त 60%, प्रयोगात्मक कार्य 20%, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) 20%

(3) मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किए गए मानदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सके। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचारशील जर्नल, आदि शामिल हो सकते हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

50 विद्यार्थी प्रति यूनिट की भर्ती के लिए, संकाय के सदस्यों की संख्यया 16 होगी। शिक्षकों की भर्ती पाठ्यचर्या के क्षेत्रों, नामतः परिप्रेक्ष्य/आधार पाठ्यक्रमों ओर भाषा, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, दृश्य और अभिनय कलाओं, और भाषा–विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए होगी।

पूर्णकालिक संकाय का वितरण इस प्रकार हो सकता है :

1.	विभागाध्यक्ष/प्रिंसिपल	एक
2.	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य अथवा आधार	तीन
3.	विज्ञान और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
4.	गणित और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
5.	समाज विज्ञान और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
6.	भाषाएं और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
7.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक
8.	दृश्य कलाएं और अभिनय कलाएं	दो
9.	भाषा विज्ञान	एक

टिप्पणी : विभिन्न विषय श्रेणियों के अन्तर्गत सूचीबद्ध संकाय सदस्य विनिर्दिष्ट किए गए समूचे पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों को पढ़ा सकते हैं। विषय–आधारित पाठ्यक्रमों का अध्यापन विज्ञानेतर विषयों, मानविकी, गणित, समाज विज्ञानों और विज्ञानों के सहयोगी विभागों के संकाय–सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संबंधित कॉलेज/संस्था विशेषज्ञता वाले प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों, जैसे आत्म–विकास, रंगमंच, संगीत, शिल्प, कहानी सुनाना, आदि के पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संबद्धक विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार संगत क्षेत्र में समकक्ष योग्यता/विशेषज्ञता वाले संसाधन व्यक्तियों का उपयोग कर सकती है।

5.2 अर्हताएं

संकाय में निम्नलिखित योग्यताएं होंगी।

क. प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष

1. विज्ञान/समाज विज्ञान कला/मानविकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम एड/एम ए (शिक्षा)

2. किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव वांछनीयः शैक्षिक प्रशासन/नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा

ख. वांछनीय शैक्षिक प्रशासन में डिग्री या डिप्लोमा शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/आधार और पाठ्यचर्या तथा शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन

समाज विज्ञानों/मानविकी/विज्ञानों/गणित/भाषाओं में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम एड {दर्शन शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान से तीन (3) पदो के सिवाय, जहां संकाय योग्यता इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 55% अंकों के साथ बीईएलएड/बी एड होगी}

भाषा विज्ञान : भाषा विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और उसके साथ

बी. एड./बीईएलएड की डिग्री।

वांछनीय : शिक्षा में एम. फिल./पी.एच.डी.

ग. विशेषज्ञता वाले क्षेत्र

शारीरिक शिक्षा

1. शारीरिकशिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीएड)

दृश्य कलाएं

1 ललित कलाओं में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमएफए)

निष्पादन(अभिनय) कलाएं

1. 55 प्रतिशत अंकों के साथ संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अनुभव ओर व्यावसायिक अनुभव के अर्थों में उसके समकक्ष।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

कार्यालय प्रबन्धक	एक
कार्यालय सहायक और आशुलिपिक	एक
संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता	एक
पाठ्यचर्या प्रयोगाशाला सहायक	एक
पुस्तकालय सहायक (बी.लिब)	एक
कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक(बीसीए)	एक
कार्यालय परिचर	एक

टिप्पणी : किसी संयोजित संस्था में, प्रिंसिपल, और शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ को सांझा किया जा सकता है। वहां एक प्रिंसिपल होगा और अन्यों को विभागाध्यक्ष कहा जा सकता हैं।

5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/संबद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6. सुविधाएं

6.1 बुनियादी ढांचा

(क) एकान्तिक भौतिक सुविधाएं

बीईएलएड प्रस्तुत करने वाली संस्था में मुहैया की जाने वाली भौतिक सुविधाओं में निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी :

शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे (4–5 कक्षा कमरे), पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, संसाधन केन्द्र, कार्यशालाओं के लिए स्थान, कम्प्यूटर रूम और पुस्तकालय शामिल होगा।

प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिंसिपल का कमरा, संकाय के कमरे, केन्द्रीय कार्यलय, सम्मेलन कक्ष, रिकार्ड रूप, कम्प्यूटर कमरा और स्वागत कक्ष शामिल होगा।

सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों का सांझा कमरा, स्टाफ के लिए कमरा, हाल, खेलकूद/मनोरंनज केन्द्र, केंटीन, सहकारी स्टोर, डिस्पेन्सरी और सुरक्षा सेवाएं, शौचालय (पुरूष और महिला विद्यार्थियों और संकाय के सदस्यों के लिए अलग–अलग) शामिल होगा।

(ख) साझी सुविधाएं

जहां अध्यापक शिक्षा बहुत से संकायों और अध्ययन विभागों वाले विश्वविद्यालय/संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में किसी विभाग/कॉलेज के द्वारा प्रदान की जाती है, वहां सभी केन्द्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा आपस में सांझा किया जाएगा। प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के मामले में, आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि बीईएलएड के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/कॉलेज के केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा, बीईएलएड विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विभागीय पुस्तकालय का विकास भी किया जाएगा। संसाधन प्रयोगशाला को शिक्षाशास्त्र–आधारित प्रयोगात्मक कार्य और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर के साथ–साथ पर्याप्त पठन सामग्री से भी सज्जित किया जाना चाहिए श्रोताकक्ष, सम्मेलन कक्ष, आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ बांट कर किया जा सकता है।

6.2 शैक्षणिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला हाथ में आए कार्य को निपटाने पाला प्रयोगशाला क्षेत्र होगा। प्रयोगशाला शिल्प, कोर (मूल) गणित, भाषा, कोर विज्ञान, समाज विज्ञान और शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रमों और सामग्री विकास जैसे सिद्धांत और प्रायोगिकात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के इस प्रयोजन को पूरा करेगी। प्रयोगशाला में भाषाओं, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित से संबंधित सामग्री होगी, जैसे उपकरण, रसायन, किट, नक्शे, ग्लोब, और हथौड़े, चिमटे, कैंची, और तार जैसे औजार एवं उपकरण होंगे। लघु समूह क्रियाकलापों के लिए प्रयोगशाला में कार्य करने के मेज होने चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, जिसे एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पर किया जा सके, ताकि फर्श पर काम करने की गुंजाइश हो सके। प्रयोगशाला में कक्षाएं आयोजित करने के लिए ओवरहोड प्रोजेक्टर, नोटिस बोर्डों और ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(ख) संसाधन केन्द्र प्रयोगशाला विभागीय पुस्तकालय के प्रयोजन को पूरा करेगा। इसमें एक स्टोर होना चाहिए और पुस्तकों, पाठ्यचर्या सामग्रियों, बाल साहित्य, पाठपुस्ताके, रिपोर्टों और दस्तावेजों, श्रव्य–दृश्य उपस्कर, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेअर, कैमरा, शिक्षा संबंधी फिल्मों, आदि तक पहुंच होनी चाहिए। सामाग्रियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्कूलों में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। संसाधन केन्द्र में संकाय और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कम्प्यूटर सुविधा भी होनी चाहिए केन्द्र में विद्यार्थियों की सभाओं, कक्षाओं, समूह चर्चाओं के लिए और पढ़ने के भी लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

(ग) किसी प्रदत्त कॉलेज/संयुक्त संस्था में विज्ञान प्रयोगशाला बीईएलएड की संकाय और उसके विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगी और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशाला सामग्रियों, उपस्कर, श्रव्य–दृश्य संसाधनों और कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कार्यशाला स्थान में रंगमंच कार्यशाला, आत्म–विकास कार्यशाला, शिल्प, संगीत और व्यायाम शिक्षा कार्यशालस (योग शिक्षा सहित) जैसे विशिष्ट प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के संचालन के लिए दो अलग स्थानों की व्यवस्था होगी। इन स्थानों पर 25–30 विद्यार्थियों के समूह के लिए खुले रूप से आने जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) अनुदेशात्मक प्रयोजनों और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यातमक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल की प्राप्ति।

(घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने के कारगर प्रबन्ध, जल और शौचालय सुविधाएं (पुरूषों, महिलाओं और पी डब्ल्यू डी के लिए अलग–अलग शौचालय), फर्नीचर और अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनका प्रतिस्थापन।

(**टिप्पणी** : संयुक्त संस्थान के मामले में, उवसंरचनात्मक, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिल–बांट कर किया जाएगा।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबद्धक विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार गठित की गई एक प्रबन्ध समिति होगी। ऐसे मानदंडों के न होने पर, संस्था समिति का गठन स्वयं करेगी। समिति में संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्और अध्यापक–शिक्षक, संबद्धक विश्वविद्यालय और संकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–4

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना :

शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है एक संवृत्तिक पाठयक्रम है जो उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल (कक्षा vi-viii), माध्यमिक स्तर (कक्षा ix-x), एवं उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा xi-xii), के लिए अध्यापक तैयार करता है।